कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक 892 / 14–1 दिनांक, मुरादाबाद, 19–09–2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद अमरोहा ,में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड हापुड में 0.00 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं अमरोहा द्वारा 220 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों तथा गैर वनभूमि पर स्थित 12 वृक्ष अर्थात कुल 18 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में। File No. FP/UP/TRANS./14S929/2021

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या–पी–247/81–2–2022–800(244)/2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, अमरोहा ने अपने पत्र संख्या–825/14–1 दिनांक 07.09.2022 द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, अमरोहा से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेख संस्तुति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है–

Obs. no.	Observation	Reply
1	प्रस्ताव के पृष्ठ–70 पर रक्षित एफ0आर0ए0 पर जिलाधिकारी की मोहर नहीं है। साथ ही साथ प्रभागीय वनाधिकारी भी हस्ताक्षरित किया गया है, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोर्फामा के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी का हस्ताक्षर नियमानुसार नहीं है।	उक्त आपत्ति के अनुपालन में पुनः एफ0आर0ए0 पर जिलाधिकारी अमरोहा के हस्ताक्षर कराकर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसकी 03 प्रतियां पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।
2	प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि संलग्न अभिसूचना में चिन्हित नही है।	अभिसूचना में संरक्षित वनभूमि चिन्हित कर दी गयी है। जिसकी 03 प्रतियां प्रस्ताव में संलग्न किये जाने बावत पत्र के साथ संलग्न है।
3	प्रस्ताव पूर्णतः वन्यजीव विहार क्षेत्र में है। वृक्षों का पातन निहित है। ऐसी स्थिति में वन्यजीव अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है ?	वन्यजीव क्लीयरेन्स हेतु प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया है।
4	क्या प्रस्तावित परियोजना वन (संरक्षण) रूल्स–2022 के अनुसार परीक्षण किया गया है ?	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–59 पर संलग्न किये जाने बावत 03 प्रतियां संलग्न की जा रही है।
5	परियोजना में बाधक निजी वृक्षों के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख संलग्न है ?	विद्युत पारेषण लाईन में निजी भूमि भी प्रभावित है। अतः लाईन के नीचे जो निजी वृक्ष आ रहे है, उनके अभिलेख संलग्न किये गये है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या / 14–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, अमरोहा को उनके पत्र दिनांक 07.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ।

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।